745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थिल रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>Case No.11218/2024 Smt. Annapurna Thakur, Lessee, R/o Near Church, Ganga Ashram, District-Sehore (MP)-466001 Prior Environment Clearance for Hasnabad Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (27930 cum per year) (Khasra No. 56/1), Village-Hasnabad, Tehsil-Sehore, District-Sehore (MP) [433608] (B2).</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **24/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्रीमति अन्नपुर्णा ठाकुर पत्नि श्री दिनेश ठाकुर** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति अन्नपुर्णा ठाकुर पत्नि श्री दिनेश ठाकुर गंगा आश्रम, सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	56/1 (शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लेंड) (नोईयत– पत्थर)	hectare. 4.00
स्थल	ग्राम हसनाबाद, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के पत्र कमांक 3423/खनिज/उ.प./2015, दिनांक 26/10/15 के द्वारा स्वीकृत । 21/01/2016 to 20/01/2026 (10 years)	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग की जा रही है ।	

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्रमांक **1505** दिनांक **23/05/2016** के द्वारा पत्थर–**27,930** घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–27,930 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 27,930 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 6245 दिनांक 01/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 6245 दिनांक 01/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 6245 दिनांक 01/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हसनाबाद जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 67 दिनांक 15/11/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में स्थापित है ।
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण – 155 बैरियर जोन मे है। • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण – **पेड़ नहीं काटे जाएंगे**।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– मछली पालन फार्म 85 मी. पर है। पेट्रोल पम्प 371 मी. पर है।
	दक्षिण दिशा– दक्षिण – पूर्व दिशा में 62मी. पर बरसाती नाला है। स्कूल 413 मी. पर है।
	पूर्व दिशा– नहीं
	पश्चिम दिशा– 100 मी. पर पक्का रोड है।

	मानव बसाहट 330 मी. पर है।
ऑनलाइन (परिवेश) आवेदन की तिथि	**17/01/2024**
खदान स्थल के कोआर्डिनेट के सम्बन्ध में	अनुमोदित माइनिंग प्लान और डी एस आर के कोआर्डिनेट का मिलान नहीं होने का कारण, खदान का डी जी पी एस सर्वे करवाकर माइनिंग प्लान अनुमोदित कराया गया है –
तत समय पत्थर उत्पादित मात्रा	5414 घनमीटर्र (माइनिंग प्लान अनुसार)
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–35 के सरल क्रमांक–16 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान से पश्चिम दिशा में 100 मी. पर पक्का रोड है अतः 100 मी. तक गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा गया है चूकिं अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है अतः 100 मी. तक गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडते हुये 200 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया है ।

1. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
2. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	155 वृक्ष लगे है,
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 300 पेड़ लगाये गये एवं 300 पेड़ बांटे गये। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 27,930 मी.^{3}
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.80 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.48 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल हसनाबाद में अधोसंरचना विकास कार्य कराये जायेगा	60,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, खनन अवधि तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित सीन	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	3700

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, कुसुम, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

2. <u>Case No.11199/2024 Shri Rameshwar Yadav, Lessee, R/o Village-Semri, Tehsil-Rehti, District-Sehore (MP)-466446 Prior Environment Clearance for Semri Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (19250 cum per year) (Khasra No. 31/1), Village-Semri, Tehsil-Rehti, District-Sehore (MP) [433980] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावितत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमे आज दिनांक 30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामेश्वर यादव आत्मज श्री इमरतलाल यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजनाविवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रामेश्वर यादव आत्मज श्री इमरतलाल यादव पता–ग्राम सेमरी तहसील–रेहटी जिला–सीहोर	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	31/1(शासकीय भूमि–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Vill.- Semri , Tehsil- Rehti , District- Sehore (M.P.)	

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलासीहोर के पत्र क्रमांक1577दिनांक 14.12.2020के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावितत है ।
प्रकरण की स्थिति	डिआ से सिआ
डियाई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	डिया सीहोर के पत्र क्रमांक 1500–1505 दिनांक 14.08.2018 के द्वारा पत्थर–21143 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	NA
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–19,250 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 19,250 घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 6330 दिनांक 09/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक6330 दिनांक 09/11/2023 अनुसार क्षेत्र 10किलोमीटर की दूरी में टाईगर रिजर्व/घोषित जैव विवधता क्षेत्र/नेशनल पार्क/अभ्यारण/भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ईकोसेंसटिव जोन स्थित नही है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक6330 दिनांक 09/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत से मरी जिला सीहोर प्रस्ताव क्रमांक 02 के दिनांक 07.09.2008 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशरलीज क्षेत्र में प्रस्तावितत नही है
प्रस्तावितस्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण–0 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण–0
प्रस्तावितत स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	
	दक्षिणदिशा–उत्खनि पट्टे के 114 मीटर दक्षिण दिशा में नाला स्थिल है
	पूर्वदिशा–उत्खनि पट्टे के 108 मीटर पूर्व दिशा में नाला स्थिल है।
	उत्खनि पट्टे के 500 मीटर की परिधि में कुछ अन्य गढ्डे परिलक्षित हो रहे है जो की पूर्व में संचालित खदानों के गढ्डे है जोकी वर्तमान में बंद है एवं जिनकी लीज अवधी समाप्त हो गयी है।
प्रस्तावितत खदान की जिलासर्वेक्षणरिपोर्टमेंस्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेजनं.–79 के सरल क्रमांक–27पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) मेंलिए

	गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जनसुनवाई	NA

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

- माइनिंग लीज शासकीय भूमि पर है ।
- बैरियर जोन खुदा हुआ है व लीज एरिया के दक्षिण दिशा में तथा पूवी दिशा में हालेज रोड़ है । माइनिंग एरिया के आसपास जो गढ्ढे दिख रहे हैं वह पूर्व खदानों के हैं, पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी पर नाला है ।
- फेंसिग लगभग 40 प्रतिशत है व 7.5 मीटर में सघन वृक्षारोपण नहीं है, 50 पौधे लगाये गये हैं तथा 140 पौधे ग्रामवासियों को वितरीत किये गये है ।
- सामाजिक कार्य किये गये तथा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । गारलैण्ड ड्रेन 20 प्रतिशत है व लीज एरिया के अन्दर क्रेशर नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 19250 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.63 लाख एवं रिक्रुरिंग राशि रू. 1.61 लाख प्रतिवर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।

8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

1. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावितत सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावितत गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम से मरी स्थिल ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	60,000

2. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधो का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2320 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षा रोपण हेतु प्रस्तावितत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में अंतगर्त	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः–खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, करंज , सफेदसिरिस, सीताफल, चिरोलआदि।	830
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटरट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदि।	100
3	ग्राम से मरीमेंस्थिल शासकीय विद्यालय परिसरमे	पुत्रंजीवा मोल श्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	50
4	ग्राम वासियो को पौधे वितरण	संतरा, आम, कटहल, गुअवा, मुनगाआदि।	1420
उपरोक्तानुसार वृक्षा रोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्षतक उन पौधोंका रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्डड्रेन तथा सेटलिंगटैंक के बंडपरस्थानीय बीजबोबाई करउन का सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉवका नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

3. Case No.11238/2024 Shri Abhishek Jain S/o Shri Abhay Kumar Jain, Lessee, R/o Village-Labriya, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP)-454111 Prior Environment Clearance for Bodiya Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (14700 cum per year) (Khasra No. 1912), Village-Bodiya, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP) [435615] [DEIAA] (B2)

प्रकरण आज सेक की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

4. Case No.11210/2024 Shri RamniwasKushwah, Owner, R/o Near Penchvalley School, Tehsil-Parasia, District-Chhindwara (MP)-480441, Prior Environment Clearance for Sajkuhi Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11970 cum per year) (Khasra No. 341/2, 341/3), Village-Sajkuhi, Tehsil-Tamia, District-Chhindwara (MP) [436101] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 30.04.24 को परियोजना प्रस्तावक रामनिवास कुशवाहा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुरशर्मा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	रामनिवास कुशवाहा निवासी पेंचवेल्ली स्कूल के पास, परासिया जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(निजी भूमि)सहमति प्राप्त	2.00 hectare
स्थल	ग्राम **साजकुही** तह **तामिया** जिला **छिन्दवाड़ा** (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3211 दिनांक 15.07.20 के द्वारा नवीनीकरण होकर स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया छिन्दवाड़ाके पत्र क्रमांक 883 दिनांक 31.05.2016 के द्वारा पत्थर–**11970** घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **11970** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **11970** घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1119 दिनांक 21.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में **कोई** अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत **नहीं** है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण **बी–2** श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1119 दिनांक	

अनापत्ति	21.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1119 दिनांक 21.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/ स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । 500 मी की परिधि में मानव बसाहट स्तिथ है।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत **साजकुही** जिला **छिन्दवाड़ा** के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **07.03.2010** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling –10 Additional tree to be planted -100
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा–337 मी. पक्की सड़क
	दक्षिण दिशा
	पूर्व दिशा–100 मी. कुछ कच्चे घर
	पश्चिम दिशा–440 मी पक्का रोड
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेजनं.–**35** के सरल क्रमांक–.**86** पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

खदान के चारो ओर फेंसिंग	**पूर्ण है**
खदान के चारो ओर वृक्षारोपण	**आंशिक पूर्ण ,लगभग 170पौधे लगे है**
खदान बोर्ड	**लगा है**
गारलैंड ड्रेन	**बना हुआ है**
सेटलिंक टैंक	**बना हुआ है**
डस्ट रोकने के उपाय	**टिन शेड लगा हुआ है**
सी एस आर गतिविधि	**यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवाया गया है**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 11970 घनमीटर/वर्ष

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.47 लाख एव रिक्रिंग राशि रू. 2.70 लाख प्रतिवर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
गाँव के प्राइमरी स्कूल का रंगरोगन एवं मेंटेनेंस कार्य	0.60

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–
5.

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, करंज, महुआ, जामुन, सिस्सू, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजाति	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1. 5 मीटरट्री–गार्ड के साथ)	नीम, करंज, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजाति	400
3	गाँव में वितरण	आम, आँवला, मुनगा, जामुन	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रति वेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

5. **Case No.11237/2024 Shri Virendra Prajapati, Lessee, R/o 221, Jawahar Marg, District-Indore (MP)-452002 Prior Environment Clearance for Kalaria Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (3236 cum per year) (Khasra No. 99/1/2/1, 97/1/2), Village-Kalariya, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [440728] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावितत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्वपर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विरेन्द्र प्रजापत पिताश्री लक्ष्मीनारायण प्रजापत एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्रीरामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री विरेन्द्र प्रजापत पिता श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापत, पता–222 जवाहर मार्ग इन्दौर जिला इन्दौर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	99/1/2/1, 97/1/2(निजी भूमि सहमति पर–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Vill.- Kalaria, Tehsil- Indore, District- Indore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के पत्र क्रमांक 122 दिनांक 27.08.2018के द्वारास्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावितत नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिआ से सिआ	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया इन्दौर के पत्र क्रमांक 122 दिनांक27.08.2018के द्वारा मिटटी–3240 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	NA	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मटटी–3236 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 3236 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2455 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, इस प्रकार कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2455 दिनांक 22/11/2023 अनुसार क्षेत्र 10 किलोमीटर की दूरी में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसटिव जोन स्थिल नही है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इन्दौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2455 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियोस्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कलारिया जिला इन्दौर प्रस्ताव क्रमांक 02 के दिनांक 11.06.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावितत नही है	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण–1 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण–0	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनि पट्टे के उत्तरपूर्वी दिशा में एक 75मीटरपर एक शेड परिलक्षित जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त शेड सामान आदि रखने के लिए बनाया गया है एवं इससे 100 मीटर तक खनन कार्य नहीं करा जावेगा जो कि प्रस्तुत मैप में दर्शाया गया।	
	पूर्व दिशा–ग्रामीण पक्का रास्ता 115 मीटर कि दूरी पर है एवं यह मिटटी कि खदान है जिस मे ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
	पश्चिम दिशा–पश्चिम दिशा में उत्खनिपट्टे से 260 मीटर पर नदी है	

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेजनं.–46 के सरल क्रमांक–73 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) मेंलिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	NA

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के .एम. एल. ईमेज/कोर्डीनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डीनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को–आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन–लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।

6. <u>Case No.11217/2024 Shri Deepak Solanki, Owner, R/o House No. 403, Ward No. 11, Bus Stand Ke Pass, Gram-Dhulkot, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for Itariya Stone Quarry in an area of 1.150 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 534), Village-Itariya, Tehsil-Nepanagar, District-Burhanpur (MP) [443976] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक दीपक सोलंकी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	दीपक सोलंकी पिता देवी सिंह सोलंकी निवासी –मकान न. 403, वार्ड न. 11, बस स्टैन्ड के पास ग्राम – धुलकोट तहसील –नेपानगर जिला –बुरहानपुर राज्य मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 534(निजी–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल– 2.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम इटारिया तहसील –नेपानगर जिला –बुरहानपुर राज्य मध्य प्रदेश ।	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 532/खनिज/23 बुरहानपुर दिनॉक 14/06/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फर्शी पत्थर –12,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 12,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 843/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .04/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2	

	श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 843/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक 04/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 843/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनांक .04/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत इटारिया जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भविष्य में दर्ज कराने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला –बुरहानपुर से पत्र क्रमांक 919/खनिज/2023 बुरहानपुर दिनाँक 19/09/2023 प्राप्त हुआ ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 12,000 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 4.70 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.59 लाख प्रति वर्ष ।
3. <u>क्षतिपूर्ति के संबंध मेंः–</u>
   - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
   - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)

शासकीय प्राथमिक शाला इटारिया में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
इटारिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
कुल	**30,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1150 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1. 5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एव प्रजातिका विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No.11325/2024 Shri Sanjay Mehta, Lessee, R/o 25, Namak Mandi, District-Ujjain (MP)-456010, Prior Environment Clearance for BodaniMurrum& Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-30000, Murrum-30000, M-Sand-45000 cum per year) (Khasra No. 38), Village-Bodani, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [444148]**

प्रकरण आज सेक की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

8. **Case No.11200/2024 Shri Virendra Rajoriya, Lessee, R/o Ward No. 3, Alapur Road, Remja Ka Pura, Jaora, District-Morena (MP)-476221, Prior Environment Clearance for Chandeli Soil Quarry in an area of 2.00 ha. (1960 cum per year) (Khasra No. 5, 6), Village-Chandeli, Tehsil-Vijaypur, District-Sheopur (MP) [444384] [DEIAA] (B2)**

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

प्रस्तावितत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **30/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री वीरेन्द्र राजौरिया पुत्र श्री रामगोविन्द राजौरिया** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **30/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री वीरेन्द्र राजौरिया पुत्र श्री रामगोविन्द राजौरिया** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री वीरेन्द्र राजौरिया पुत्र श्री रामगोविन्द राजौरिया ग्राम गोपालपुरा, तहसील विजयपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5, 6 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	हेक्ट. 2.00
स्थल	ग्राम चन्देली, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 17764–65/खनिज/ न.क्र./ उ.प./ग्रुप–03/2022, दिनांक 26/12/2022 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति (DEIAA) जिला श्योपुर के पत्र क्रमांक 5429 दिनांक 25/04/2017 के द्वारा मिट्टी (चिमनी भट्टा द्वारा ईंट निर्माण) –1500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी (चिमनी भट्टा द्वारा ईंट निर्माण) –1960 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 1960 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 7490 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 7490 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र	

अनापत्ति	क्रमांक 7490 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । राष्ट्रीय राजमार्ग 500 मी. की दुरी पर है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जिला श्योपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2 दिनांक 25/09/2006 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में सात पेड़ है । • 3 पेड बैरियर जोन में है और 4 खनन क्षेत्र में है किन्तु कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा – पक्का रास्ता, 140 मी. व रिर्जोट 106 मी. पर है ।
	दक्षिण दिशा – नहीं है।
	पूर्व दिशा– आबादी – 276 मी. पर है ।
	पश्चिम दिशा– कच्चा रास्ता, 500 मी. पर है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवेदक श्री वीरेन्द्र राजौरिया का नाम वर्तमान डी.एस.आर. में प्वाईंट नंबर **13** में दी गई एल.ओ. बाई होल्डर सूची के क्रमाक **8** में दर्ज होकर नवीनीकरण हेतु प्रचलित होना लेख किया गया है समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
ऑनलाइन (परिवेश) आवेदन की तिथि	**12/01/2024**
खदान स्थल के को आर्डिनेट के सम्बन्ध में	डी एस आर में खदान स्थल के को आर्डिनेट नहीं है
चिमनी की स्थिति	चिमनी लीज के अंदर है
तत समय पत्थर उत्पादित मात्रा	14000 घनमीटर (माइनिंग प्लान अनुसार)

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	50 प्रतिशत पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 200 पेड़ लगाये गये एवं 200 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 1500 मी.^{3}
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 6.70 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.24 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में चिमनी लीज के अंदर है अतः इस हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित चिमनी लीज के अंदर है अतः वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	**राशि (रू.में)**
शासकीय प्राथमिक स्कूल चंदेली में अधोसंरचना विकास कार्य कराया जायेगा।	60,000/–

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

9. <u>Case No.11241/2024 Shri Aniket Singh, Owner, R/o 123, Ward No. 3, District-Jabalpur (MP)-460001, Prior Environment Clearance for Gangai Murrum Quarry in an area of 3.00 ha. (20001 cum per year) (Khasra No. 491), Village-Gangai, Tehsil-Shahpura, District-Jabalpur (MP) [446243] (B2)</u>

प्रस्तावितत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **अनिकेत सिंह** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकाररश्मीसारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थिलहुए और उनके द्वारासमिति के समक्ष प्रस्तुतीकरणकियागया ।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अनिकेत सिंह निवासी आर ओ-123, वार्ड नंबर-36, गर्ग कालोनी, जिला- बैतूल (म.प्र.)
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानं. 491 (शासकीय –नॉनफॉरेस्ट लेंड) | क्षेत्रफल–3.00हेक्टेयर
स्थल	ग्राम–गंगाई तहसील–शाजापुर जिला–जबलपुर राज्य मध्य प्रदेश।
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिलाजबलपुरके पत्र क्रमांक3953/खनिज/क्यू.एल./ 2022-23 जबलपुर दिनाँक 24/01/2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	----
गूगल ईमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज एरिया के उत्तर दिशा में 180 मीटर दूरी पर नहर है, हेबीटेशन 41 मीटर की दूरी पर तथा पश्चिम में 32 मीटर पर पक्की रोड़ है । अतः उपरोक्त संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.8 हे. गैर खनन के रूप में छोड़ा गया है
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20,001घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 20,001 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक547/क्यू।यल./खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक 18.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत नहीं है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 547/क्यू। यल./खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक 18.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 547/क्यू। यल./खनिज/2023-24 जबलपुर दिनांक 18.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गंगाई जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/2021 अनुसार प्रस्तावितत स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु प्रेषित पट्टेदारों कि सूची मे नाम संमलित किया गया है।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 20001 घनमीटर प्रतिवर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.70 लाख प्रतिवर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू–प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगें कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावितत सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावितत गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला झीरमीर में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
झीरमीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
कुल	**30,000**

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	2700
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. <u>Case No.11223/2024 Shri Pramod Sahu, Owner, R/o Gadasarai, Tehsil-Bajag, District-Dindori (MP)-481882, Prior Environment Clearance for Ratna Mal Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3420 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Ratna, Tehsil-Dindori, District-Dindori (MP) [448780] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित पत्थरखदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 30.04.24 को परियोजना प्रस्तावक प्रमोद कुमार साहू एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	प्रमोद कुमार साहू निवासी ग्राम गडासराई तह बजाग जिला डिंडोरी (481880)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(निजी भूमि) सहमति प्राप्त	2.00 hectare.
स्थल	ग्राम **रत्ना माल** तसहील बजाग जिला डिंडोरी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी के पत्र क्रमांक 206 दिनांक 27.08.16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया डिंडोरी के पत्र क्रमांक 787 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा पत्थर–**3420** घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3420 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 3420 घनमीटर/वर्षहै।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **डिंडोरी** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 403. दिनांक 11.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.320 हे. होता है, अतः प्रकरण **बी–2** श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 403. दिनांक 11.09.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 403. दिनांक 11.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत **किकरा तालाब** जिला **डिंडोरी** के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **02.06.2016** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling –none Additional tree to be planted -none
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा–346 मी. फारेस्ट
	दक्षिण दिशा–256 मी. सड़क
	पूर्व दिशा–580 मी. आबादी
	पश्चिम दिशा–354 मी आबादी
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–**106** के सरल क्रमांक–**37**पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

खदान के चारो ओर फेंसिंग	**लीज एरिया में 50 प्रतिशत फेंसिग कार्य**
खदान के चारो ओर वृक्षारोपण	आंशिक पूर्ण पौधे लगे है 150 लगभग ,
खदान बोर्ड	लगा है
गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंक टैंक	आंशिक बना हुआ है
7.5 मीटर में वृक्षारोपण	**7.5 मीटर में वृक्षारोपण नहीं है व**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 3420 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.53 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 2.93 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध मेंः–
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
रत्ना माल माध्यमिक शाला में अधोसंरचना विकास हेतु	1.00 लाख

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, करंज, महुआ, जामुन, सिस्सू, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजाति	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, करंज, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजाति	400
3	गाँव में वितरण	आम, आँवला, मुनगा, जामुन	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. Case No.11209/2024 Shri Rajesh Shivhare, Lessee, 81, Pura Laundi, District-Chhatarpur (MP)-471515, Prior Environment Clearance for Pura Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (25124 cum per year) (Khasra No. 639/1), Village-Pura, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (MP) [449201] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावितत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **30/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री राजेश कुमार शिवहरे आत्मज श्री लक्ष्मण प्रसाद शिवहरे** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री राजेश कुमार शिवहरे श्री लक्ष्मण प्रसाद शिवहरे पुरा, लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	639/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड) (नोईयत– पहाड़)	hectare. 1.00
स्थल	ग्राम पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 13252, दिनांक 05/10/2023 के द्वारा स्वीकृत । 30/03/2025 – 29/03/2035 (10 years) पुरानी अवधि 30/03/2015 – 29/03/2025 (10 years)	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नवीनीकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के पत्र क्रमांक **901** दिनांक **26/06/2016** के द्वारा पत्थर–**25,124** घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्ता वक द्वारा पत्थर–25,124 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 25,124 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2863 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान संचालित/स्वीकृत है । इस प्रकार कुल रकबा 1.73 हे. होता है, अतः प्रकरण बी– 2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2863 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है लेकिन अभ्यारण्य – विजय सागर पक्षी विहार अभ्यारण्य महोबा उ.प्र. से 7.7 कि.मी. की दुरी पर है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2863 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पुरा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 26/12/2011 अनुसार प्रस्तावितत स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में 15 पेड़ है जिनमें महुआ, पलास, बबूल एवं नीम के वृक्ष है जिन्हें काटा जायेगा एवं उनके स्थान पर इन्हीं प्रजातियों के 10 गुना अर्थात् 150 वृक्ष अतिरिक्त लगाये जायेंगे।	
प्रस्तावितत स्थल की गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा– नहीं हैं ।	
	दक्षिण दिशा– नहीं हैं ।	

वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा– पक्का रोड 93 मी. पर है। पश्चिम दिशा– नहीं हैं ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–164 के सरल क्रमांक–17 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
ऑनलाइन (परिवेश) आवेदन की तिथि	**12/01/2024**
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज मे नहीं है
तत समय पत्थर उत्पादित मात्रा	29,790 घनमीटर (माइनिंग प्लान अनुसार)

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये किन्तु वह जीवित नहीं बचे एवं 250 पेड़ ग्राम पंचायत में बांटे गये। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 25,124 मी.^{3}
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.89 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावितत सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावितत गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल पुरा में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी	60,000/–

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, खनन अवधि तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सिस्सू, चिरोल, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	750
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	मुनगा, आम, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन

15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

12. <u>Case No.11252/2024 Shri Atul Mandloi, R/o Shri Krishan Bazar Digthan, Tehsil and District Dhar (MP) - 454773, Prior Environment Clearance for Khandwa Murum Quarry in an area of 3.20 ha. (30000 cum per year) (Khasra No. 642 Peki), Village-Khandwa, Tehsil-Pithampur, District-Dhar (MP) [449302]</u>

प्रस्तावितत खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक अतुल मण्डलोई एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अतुल मण्डलोई पिता नरेन्द्र मण्डलोई, निवासी श्री कृश्ण बाजार, दिग्ठान, तहसील पिथमपुर, जिला धार म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	642 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 4.00 हेक्टयेर भाासकीय भूमि hectare.
स्थल	ग्राम खाण्डवा, तहसील पीथमपुर, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक -1847/उ.प./न.क्र.–04/खनिज/2023–24, दिनांक 10.08.2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नही है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रोजेक्ट
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 30,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2239/खनिज/2023–24 दिनांक 17.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.50 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2239/खनिज/2023–24 दिनांक 17.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2239/खनिज/2023–24 दिनांक 17.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशानघाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन शील क्षेत्रों

	जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खण्डवा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24.4.2023 अनुसार प्रस्तावितत स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर प्रस्तावितत नही है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण 12 • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण 9 • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 90
प्रस्तावितत स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थिल संवेदनशील घटकों (जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	**खनन क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में 160 मीटर पर पक्का रोड है।** **खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 60 मीटर पक्का ढांचा है** **खनन क्षेत्र के उत्तर दक्षिण दिशा में 130 मीटर गोदाम है** **खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा 360 में मीटर पर आवासीय क्षेत्र है**
प्रस्तावितत खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण **में सम्मिलित कर दिया जायेगा ।**
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, **मे आवेदित पट्टा क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में 60 मीटर पर पक्का ढांचा होने के कारन 40 मीटर का सेट्बैक दिया गया है** पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 30,000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 9.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.73 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावितत सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावितत गतिविधियॉ	**राशि (रू.में)**
ग्राम खण्डवा के आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिकित्सालय में अधोसंरचना	1,00,000

विकास वितिय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3910 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करंज,चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	610
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, करंज,चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	180
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	**आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि**	2980
4	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पोधो की संख्या	नीम आदि	90
5	नॉन माइनिंग जोन में लगाए जाने वाले पौधे	नीम, पीपल, करंज,चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	70

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. <u>Case No.11220/2024 Shri Devilal, Lessee, Ward No. 01, Village-Mana, Post-Mana, Tehsil-Narsingad, District-Rajgarh (MP)-465667 Prior Environment Clearance for Chhota Berasia Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11775 cum per year) (Khasra No. 1054/1/1/1, 1054/1/2, 1948/1054/1), Village-Berasia, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP) [449873] [DEIAA] (B2).</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **30/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री देवीलाल** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार **श्री सयद इक़्तेदार तनवीर, (FAE (Geo & HG) Ultra Tech Environmental Consultancy and Laboratory, ठाणे (वेस्ट) – 400061** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	**श्री देवीलाल पिता श्री कालूराम** **निवासी–नरसिंघगढ़, तहसील – नरसिंघगढ़,** **जिला – राजगढ़ (मध्य प्रदेश) मोबाइल नंबर - +91-7828590801.**	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	**1054/1/1/1, 1054/1/2, 1948/1054/1,** (**निजी भूमि** –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	**2.00** Hectare.
स्थल	**Village -Chhota Berasiya, Tehsil- Narsinghgarh, District-Rajgarh (M.P.)**	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक **1011** दिनांक **21/12/2015** के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित **रॉक ब्रेकर** है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया **राजगढ़** के पत्र क्रमांक **294** दिनांक **29/04/2016** के द्वारा पत्थर–**11775** घनमीटर/वर्ष घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है	
टॉर	NA	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–**11775** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **पत्थर–11775** घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **राजगढ़** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **918** दिनांक **04/10/2023** अनुसार **500** मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है अतः प्रकरण **बी–2** श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **राजगढ़** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **918** दिनांक **04/10/2023** अनुसार **9.97** किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **राजगढ़** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **918** दिनांक **04/10/2023** अनुसार **500** मीटर की दूरी पर जलाशय स्थित नहीं है, शेष अन्य नहीं है	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत **Chhota Berasiya** के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **31/08/15** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है	
क्रेशर की स्थिति	**क्रेशर लीज क्षेत्र के अंदर** है।	

प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण – **953** • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण – **नहीं** • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या – पेड लगाये जावेगें – **नहीं**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पश्चिम दिशा– नदी जैसी संरचना खदान स्थल से लगभग 665 मीटर पश्चिम में है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि HFL से 100 मीटर तक सेट बैक दिया गया है एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जो कि अनुमोदित खनन योजना के प्र0क्र0 16 पर दिया गया **है**। इस किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
	दक्षिण दिशा– दक्षिण दिशा प्राकृतिक नाला, **लगभग** 180 मीटर **लीज एरिया से दुरी पर स्तिथ है और एक कच्चा रास्ता खदान से लगभग** 160 मीटर **स्तिथ है**।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–31 के सरल क्रमांक–11 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	NA

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि **पूर्व दिशा में रोड़ तथा हेबीटेशन है, चूँकि खनन में ब्लास्टिंग प्रस्तावित होने से 200 मीटर छोड़ने पर खदान समाप्त हो रही है** । उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

14. Case No.11240/2024 Shri Dashrath Gupta, Proprietor, M/s Jai Maa Dhanuja Stone Crusher, R/o Village-Amaha Tola, Post-Sarai, District-Singrauli (MP)-486889, Prior Environment Clearance for Jhara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (35269 cum per year) (Khasra No. 2888/1), Village-Jhara, Tehsil-Deosar, District-Singrauli (MP) [449884] [DEIAA] (B2).

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **30/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्री देवीलाल** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार **श्री सयद इक़्तेदार तनवीर, पद – (FAE (Geo & HG) Ultra Tech Environmental Consultancy and Laboratory, ठाणे (वेस्ट).**उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	**मेसर्स जय माँ स्टोन क्रेशर प्रो. श्री दशरथ प्रसाद गुप्ता** **ग्राम – अमहा टोला, पोस्ट– सरई, जिला –सिंगरौली (मध्य प्रदेश)** **मोबाइल नंबर +91-8878849740.**	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	**2888/1** (**सरकारी** –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	**2.00** Hectare.
स्थल	**Village - झारा, Tehsil- सरई, District- सिंगरौली (M.P.)**	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक **258** दिनांक **27/01/2022** के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित **रॉक ब्रेकर** है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया **सिंगरौली** के पत्र क्रमांक **139** दिनांक **06/10/2016** के द्वारा पत्थर–**10816** घनमीटर/वर्ष घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है	
टॉर	**NA**	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–**10816** घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **पत्थर–35269** घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **3718** दिनांक **26/10/23** अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदानें संचालित/स्वीकृत है स्वीकृत उत्खनि पट्टा क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृत है उक्त स्वीकृत पत्थर खदान का रकवा **1.90** हेक्टर है अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **3718** दिनांक **26/10/2023** अनुसार **3.50** किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **सिंगरौली** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक **3718** दिनांक **26/10/2023** अनुसार **500** मीटर की दूरी पर जलाशय स्थित नहीं है, शेष अन्य नहीं है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत **झारा** के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **14/04/2011** अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है
क्रेशर की स्थिति	**क्रेशर लीज क्षेत्र के बाहर** है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण – **800** • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण – **नहीं** • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या – पेड लगाये जावेगें – **नहीं**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	**दक्षिण दिशा** – दक्षिण दिशा प्राकृतिक नदी **लगभग 550** मीटर **लीज एरिया से दुरी पर स्तिथ है**
	पूर्व दिशा – पक्की सडक **लगभग 80** मीटर **लीज एरिया से दुरी पर स्तिथ है** परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि HFL से 100 मीटर तक सेट बैक दिया गया है एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा जो कि अनुमोदित खनन योजना के प्र0क्र0 16 पर दिया गया है। इस किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–30 के सरल क्रमांक–07 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	NA

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि पूर्व दिशा में एक पक्की रोड़ है, चूँकि खनन में ब्लास्टिंग प्रस्तावित होने से 200 मीटर छोड़ने पर 95 प्रतिशत खदान समाप्त हो रही है ।

उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगें एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेगें कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े–बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना **प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।**

15. <u>Case No.11221/2024 Shri Gurudas Singh, Lessee, R/o Soi Kalan, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)-476337, Prior Environment Clearance for Soi Kalan Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (980 cum per year) (Khasra No. 1281, 1284), Village-Soi Kalan, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) [450079] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री गुरूदास सिंह पुत्र श्री दलबीर सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री गुरूदास सिंह पुत्र श्री दलबीर सिंह पता– ग्राम सॉईकलां तहसील श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1281, 1284 (निजी भूमि सहमति पर –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Vill.-Soi Kalan, Tehsil-Sheopur, District- Sheopur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के पत्र क्रमांक 3155 दिनांक 22.05. 2015 के द्वारा स्वीकृत ।	

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।
प्रकरण की स्थिति	डिआ से सिआ
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया श्योपुर के पत्र क्रमांक 5436 दिनांक 25.04.2017 के द्वारा मिटटी–980 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	NA
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिटटी–980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 980 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13029 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 2 खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार इस खदान को मिलाकर कुल रकबा 3.704 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13029 दिनांक 17/10/2023 अनुसार क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी में नेशनल पार्क/अभ्यारण/ईको सेंसटिव जोन स्थित नही है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला श्योपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 13029 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सोंईकला जिला श्योपुर प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 13.12.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	लागु नहीं , उक्त प्रकरण मिट्टी खदान का है
प्रस्ताविस्थतपर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ स्थित है जो की प्रस्तावक द्वारा ही लगाये गए है।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि **पूर्व दिशा–** खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में कुछ शेड एवं स्टोर रूम परिलक्षित होरहे हैं जिस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि स्वामियों से प्राप्त शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए जिनके अनुसार यह कृषि सम्बंधित सामान मशीनरी एवं चारा भूसा आदि रखने हेतु उपियोग में लिए जाते है एवं इनमे कोई निवास नहीं करता। इसके अतिरिक्त लीज क्षेत्र के अन्दर दिखाई देरहा मकान साईट ऑफिस हैं। **पश्चिम दिशा–** 1. पक्की रोड–107 मी. 2. नाली बरा–10 मी. (उक्त संरचना के सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया की स्वीकृत क्षेत्र से लगभग 10 मीटर की दूरी पर नाली बरा स्थित है जो नहर नहीं है। बल्कि एक बरा हैं जिसे किसानों द्वारा अपनी–अपनी निजी कृषि भूमि की सीमा में नाली बरा बनाकर आगे बढाया गया है जो कृषि भूमि सिंचित करने के उपयोग में लिया जाता है। स्वीकृत क्षेत्र से नहर की दूरी लगभग 6 कि.मी. है। जिस जानकारी का स्पष्टीकरण सम्बंधित जल संसाधन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 97 दिनांक 23/02/20 24 के माध्यम से दिया गया अतः कार्यालय द्वारा उक्त स्वीकृत उत्खनि पट्टा क्षेत्र पर पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने में जल संसाधन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।)
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–30 पर दर्ज है ।
जनसुनवाई	NA

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	**लीज एरिया में 30 प्रतिशत फेंसिग कार्य किया गया है,**
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	**50 वृक्षों का रोपण किया गया है व 150 वृक्ष ग्रामवासियों को वितरण किये गये हैं ।**

ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 980 घनमीटर/वर्ष
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5.
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. **5.70** लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.19 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम सोंईकला के विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना विकास के अंतर्गत उल्लेखित राशि 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी ।	36,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में अंतगर्त	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः– आवलॉं, कटहल, जामुन, आम , जामफल,	500

		जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम सेमरी में स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्राम वासियो को पौधे वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	550
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

16. **Case No.11206/2024 Shri Ashu Khan, Owner, R/o Akbar Colony, Town-Khamera, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP)-464551 Prior Environment Clearance for Khamera Crusher Stone Quarry in an area of 1.619 ha. (13775 cum per year) (Khasra No. 30/8, 30/9/2), Village-Khamera, Tehsil-Silwani, District-Raisen (MP) [450633] (B2), DEIAA Case.**

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारीपूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिस में आज दिनांक 30/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक आशु खान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

सारस्वत, मेसर्सजेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतदस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावककानाम व पता	आशु खान आत्मज श्री इरफान खान निवासी –अकबर कालोनी, सिलवानी जिला रायसेन राज्य मध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 30/8, 30/9/2 (निजी–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल–1.619 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम –खमेरा तहसील–सिलवानी जिला रायसेन राज्य मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेनके पत्र क्रमांक313/खनिज/2021रायसेन दिनाँक 22/06/2021के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. काविवरण (यदि लागू हो)	डिया रायसेनके पत्र क्रमांक/137/DEIAA/2016रायसेन दिनाँक 07/01/2017के द्वारा पत्थर–13775 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–13775 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 13775 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेनके एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक1654/खनिज/2023 रायसेन दिनांक .13/09/2023 अनुसार500 मीटर की परिधि मेंअन्य खदानेंस्वीकृतनहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेनके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 1654/खनिज/2023 रायसेनदिनांक .13/09/2023 अनुसार10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क/अभ्यारण्य/ईकोसेंसेटिव जोन जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर मेंवन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेनके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक 1654/खनिज/2023 रायसेनदिनांक .13/09/2023 अनुसार500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाईअड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्कारास्ता/नालानहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खमेरा जिला रायसेनके ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रस्तावितखदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.–18 के सरलक्रमांक–95पर दर्ज है ।	

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में 30 प्रतिशत फेंसिग कार्य किया गया है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	लीज एरिया में बैरियर जोन खुदा हुआ है
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	7.5 मीटर में वृक्षारोपण नहीं है
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवंअन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता13775 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में के पीटल राशि रू. 8.02 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.62लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसारराशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष मेंपूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद मेंप्रस्तावितगतिविधियॉ	**राशि (रू.में)**
शासकीय प्राथमिक शालाखमेरामें 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
खमेराके प्राथमिकस्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसारसामग्रीकावितरण	15,000

कुल	**30,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य क्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1619 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	219
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

17. <u>Case No.11239/2024 Shri Shivnarayan Malviya R/o Village-Lagsari, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP)-454221, Prior Environment Clearance for Undali Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (19400 cum per year) (Khasra No. 206, 207, 208), Village-Undli, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) [451188] [DEIAA] (B2).</u>

प्रस्तावितत खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक शिवनारायण मालवीया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	शिवनारायण मालवीया पिता श्री रूखडुसा मालवीया, निवासी लोगसरी, तहसील कुक्षी, जिला धार म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	206, 207, 208 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 2.00 हेक्टयेर भाासकीय भूमि	hectare.
स्थल	ग्राम उलदाली, तहसील कुक्षी, जिला धार	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक -1326/उ.प./न.क्र.–15/खनिज/2016–17, दिनांक 01.07.2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 07/DEIAA/2018 दिनांक 25.04.2017 के द्वारा पत्थर–19400 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	

टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 19400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 19400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 09/खनिज/2023–24 दिनांक 04.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.50 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 09/खनिज/2023–24 दिनांक 04.01.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 09/खनिज/2023–24 दिनांक 04.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशानघाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसेः रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत उण्डली जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 3दिनांक 28/1/2016 अनुसार प्रस्तावितत स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावितत नही है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	**खदान क्षेत्र में कुल 12 पेड़ है 9 कर्टेगे।**
प्रस्तावितत स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	**खनन क्षेत्र के उत्तर दिशा में 60 मीटर पर बरसाती नाला है** **खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 270 मीटर पर कच्ची सड़क है** **खनन क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 150 मीटर पर बरसाती नाला है** **खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 350 मीटर पर पक्का माकन है**
प्रस्तावितत खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **29-** के सरल क्रमांक– 16 खदान पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	**लीज एरिया में 40 प्रतिशत फेंसिग कार्य किया गया है**
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	**बैरियर जोन खुदा हुआ है**
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये एवं ..... पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 19400 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.32 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3.85 लाख प्रति वर्ष ।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावितत सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावितत गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम उंदाली के आंगनवाड़ी केन्द्र पालक संग समिति मे अधोसंरचना विकास वितिय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	1,00,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करंज,चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, करंज,चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	450
	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंग	**आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि**	950
	नॉन माइनिंग जोन में लगाए जाने वाले पौधे	नीम, पीपल, करंज,चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

18. <u>Case No.11216/2024 Smt. Urmila Pateriya, Lessee, Behind Hanuman Toriya, Ward No. 39, Bakayan Marg, District-Chhatarpur (MP)-471001, Prior Environment Clearance for Devkuliya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (17140 cum per year) (Khasra No. 270), Village-Deokaliya, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP) [451985] [DEIAA] (B2)</u>

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

प्रस्तावितत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक **30/04/2024** को परियोजना प्रस्तावक **श्रीमति उर्मिला पटेरिया पत्नि श्री देशराज पटेरिया** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति उर्मिला पटेरिया पत्नि श्री देशराज पटेरिया हनुमान टौरिया के पीछे, जिला छतरपुर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	270 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	हेक्ट. 2.00
स्थल	ग्राम देवकुलिया, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 4262–63 दिनांक 30/03/2022 के द्वारा स्वीकृत । 01/09/2020 to 31/08/2030 (10 years)	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के पत्र क्रमांक 892 दिनांक 26/06/2016 के द्वारा पत्थर–17,140 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–17,140 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 17,140 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2855 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2855 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2855 दिनांक 13/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हसनाबाद जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 27/01/2010 अनुसार प्रस्तावितत स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में दस पेड़ है, लेकिन बैरियर जोन में स्थिल हैं । • लीज में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा ।	

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

प्रस्तावितत स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कच्चा रास्ता, 213 मी. पर है।
	उत्तर दिशा – नाला 142 मी. पर है।
	पूर्व दिशा– पक्का रोड 106 मी. पर है ।
	पश्चिम दिशा– नाला, 50 मी. पर है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–40 के सरल क्रमांक–33 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज के अंदर है
ऑनलाइन (परिवेश) आवेदन की तिथि	**18/01/2024**
खदान स्थल के कोआर्डिनेट के सम्बन्ध में	डी एस आर मे खदान स्थल के कोआर्डिनेट नहीं है
तत समय पत्थर उत्पादित मात्रा	35,000 घनमीटर(माइनिंग प्लान अनुसार)

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है । समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	70 प्रतिशत पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	25 प्रतिशत पूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में, क्रेशर क्षेत्र एवं साईट आफिस के आस पास लगभग 100 पेड़ लगाये गये जिनमें 70 प्रतिशत जीवित है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – पत्थर–17,140 घनमीटर /वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 8.60 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.93 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावितत सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावितत गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल देवकुलिया में बोरिंग कर हैण्ड पम्प लगवाकर चबूतरे के साथ हौद का निर्माण	60,000/–

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, खनन अवधि तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100

3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

19. Case No.11211/2024 1 (a)Smt. Nandini Puloriya W/o Vikas Puloriya, Owner, R/o 07, Pahadsingpura, Haveli Path, District-Khargone (MP)-451001 Prior Environment Clearance for Rangaon Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (17100 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Rangaon, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP) [453646] [DEIAA] (B2)

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस. एस. स्टोन क्रशर पार्टनर नंदिनी फूलोरिया एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तर प्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स एस. एस. स्टोन क्रशर पार्टनर नंदिनी फूलोरिया निवासी अकबर कालोनी, टाउन – खामेर, तहसील – सिलवानी, जिला- रायसेनमध्य प्रदेश	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 15 (शासकीय –नॉनफॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल–2.00 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम–रणगाँव तहसील और जिला–खरगोन राज्य मध्य प्रदेश।	
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 2112/खनिज/2017 खरगोन दिनॉक 4/09/2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगोन के पत्र क्रमांक/206/खनिज/डीया/खनी/2017खरगोन दिनॉक 18/10/2017 के द्वारा पत्थर–17,100 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	

	गहराई 12 मीटर
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–17,100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 17,100 घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9537/खनिज/23 खरगोन, दिनांक- 14.02.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें स्वीकृत नहीं है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9537/खनिज/23 खरगोन, दिनांक- 14.02.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 9537/खनिज/23 खरगोन, दिनांक- 14.02.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवंजलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रणगाँव जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नंबर 88 के क्रम संखया 51 पर संलगन है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 17,100 घनमीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.65 लाख प्रतिवर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।

6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
8. सी.ई.आर मद मेंनिम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि(रू.में)
शासकीय प्राथमिक शाला झीरमीर में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
गंगाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
कुल	**30,000**

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	200
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतमऊॅचाई 1.5 मीटरट्री–गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवंअन्य स्थानीय प्रजातियां	1900
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM

दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

20. <u>Case No.11205/2024 Shri Antim Patidar, Lessee, R/o Suraj Nagar, Sukhpuri, District-Khargone (MP)-451001, Prior Environment Clearance for Hasangaon Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (4800 cum per year) (Khasra No. 13/2/1), Village-Hasanpura, Tehsil-Khargone, District-Khargone (MP) [453711] [DEIAA] (B2)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अंतिम पाटीदार पिता श्री मोहनलाल पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अंतिम पाटीदार पिता श्री मोहनलाल पाटीदार पता– सूरज नगर सुखपुरी खरगौन जिला खरगौन (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	13/2/1 (निजी भूमि सहमति पर –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2 .00 हे.
स्थल	Village- Hasangaon, Tehsil- Khargone, District- Khargone (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 1197 दिनांक 25.01.2020 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिआ से सिआ	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खरगौन के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 24.12.2016 के द्वारा पत्थर–15,039 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	NA	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–4800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4800 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, इस प्रकार कुल	

	रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12/12/2023 अनुसार क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी में नेशनल पार्क/अभ्यारण/भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ईको सेंसटिव जोन स्थित नही है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानवबसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वेलाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रोंजैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीणकच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्रामपंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हसनगाँव जिला खरगौन प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 19.02.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्वेशर की स्थिति	क्वेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित्स्थतपर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ स्थित है जो की उनके द्वारा ही लगाये गए है जो की काटे नहीं जायेंगे ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनिपट्टे के पूर्व दिशा में 60 मीटर पर एक कच्ची रोड गुजर रही है
	पश्चिम दिशा– उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में जल जमाव परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह निजी भूमि पर किसान द्वारा मिटटी निकालकर पानी रोकने के लिए काफी समय पूर्व में निर्मित गड्ढा है एवं कोई तालाब ,डेम अथवा शासन कि योजना के तहत बनायीं गयी जल संरक्षण संरचना नहीं है जिसके सम्बन्ध में भूमि स्वामी द्वारा नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–82 के सरल क्रमांक–08 पर दर्ज है ।
जनसुनवाई	NA

745वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 30 अप्रैल 2024

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	**पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति**
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में 20 प्रतिशत फेंसिग कार्य किया गया है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बैरियर जोन खुदा हुआ है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	गारलैण्ड ड्रेन नहीं बनी है ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	80 वृक्षों का रोपण व ग्रामवासियों को वितरण किया गया हैं ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्यो संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 4800 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.73 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.65 लाख प्रति वर्ष ।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि–स्टोर किया जावें।
6. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तो का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता

हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम हसनगाँव स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	**50,000/-**

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में अंतगर्त	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः– आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	550
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम सेमरी में स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्राम वासियो को पौधे वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1700
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का			

रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

21. <u>Case No.11322/2024 M/s Mahalaxmi Mines and Minerals, Partner shri Tilak Raj Grover, R/o Ward No. 04, Khalwara Bajar, Kymore, Tehsil Vijayraghavgarh, District Katni (MP) - 483880, Prior Environment Clearance for Jajagarh Stone Quarry in an area of 1.30 ha. (22739 cum per year) (Khasra No. 2/1 & 2/2P), Village-Jajagarh, Tehsil-Barhi, District-Katni (MP) [442313]</u>

प्रस्तावितत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत नया पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 30/04/2024. को परियोजना प्रस्तावक Shri Keshav Prasad Awasthi Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Mahalaxmi Mines and Minerals, Partner Shri Keshav Prasad Awasthi R/o- Khalwara Bazar Kymore, District -Katni (M.P.)-483880	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2/1 , 2/2पी (Pvt. Land), (गैर वन निजी भूमि, नोईयत–चट्टान)	1.30 हेक्टेयर
स्थल	Village-Jajagarh, Tehsil-Barhi, District-Katni, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला कटनी का पत्र क्रमांक संख्या–3360/ खनिज/12/यू.पी./2020, कटनी दिनांक 13.11.2020 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावितत है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–22,739 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया	

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–22,739 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 160 / खनिज/2023, कटनी, दिनांक– 17.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.01हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 160 / खनिज/2023, कटनी, दिनांक– 17.01.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 160 / खनिज/2023, कटनी, दिनांक– 17.01.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरमानी के ग्राम जाजागढ़ , तहसील बरही, जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक– 02 दिनांक 09.06.2020 अनुसार प्रस्तावितत स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावितत स्थन पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में एक भी पेड़ दिखाई दे रहे है ।
प्रस्तावितत स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण–पश्चिम दिशा– पक्की सड़क 22 मीटर की दूरी पर स्थिल है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन के लिए बनवाया व देखरेख किया जा रहा है।
	उतरी दिशा– कच्ची सडक लीज क्षेत्र से लगा हुआ है।
	दक्षिण–पूर्व दिशा– तलाब 229 मी. की दूरी पर स्थिल है ।
	उतरी पश्चिम दिशा–आबादी 878 मी. की दूरी पर स्थिल है।
प्रस्तावितत खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे ंस्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–94 के सरल क्रमांक–180 पर दर्ज है ।
ऑनलाइन (परिवेश) आवेदन की तिथि	**18/01/2024**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. खदान क्षेत्र में पाईप स्टारेज दिख रहें इसका डिस्पोजल प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में कृषि कार्य देखा गया अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. एम सेंड प्लान्ट एवं क्रशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शातें हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
12. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
13. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

22. <u>Case No.11323/2024 M/s Jai Mata Di Fertilizer, Prop. Shri Ghanshyam Patidar, R/o Chandakhedi, Tehsil Daloda, District Mandsaur (MP) - 458669, Prior Environment Clearance for Arnya Gurjar Stone (Gitti& M-Sand) Quarry in an area of 2.00 ha. (Stone 5000 and M-Sand 10000 cum per year) (Khasra No. 36), Village-Arnya Gurjar, Tehsil-Mandsaur, District-Mandsaur (MP) [431867]. DEIAA -TOR.</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत सिआ का प्रकरण है, जिसमें आज दिनांक 30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय माता दी फर्टिलाइजर प्रो. श्री घनश्याम पाटीदार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स जय माता दी फर्टिलाइजर प्रो. श्री घनश्याम पाटीदार पता– चंदाखेड़ी, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	36 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Arnya gurjar, Tehsil- Mandsaur, District-Mandsaur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्य प्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक. 5649 दिनांक 10/05/ 2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नवीन प्रकरण	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	–	
टॉर	–	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर– 5,000 घनमीटर/ वर्ष पत्थर (गिट्टी) और 10,000 घनमीटर /वर्ष एम– सैंड हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5,000 घनमीटर/ वर्ष पत्थर (गिट्टी) और 10,000 घनमीटर /वर्ष एम–सैंड है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 73 दिनांक 18/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 6.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 73 दिनांक 18/01/2023 अनुसार 10	

	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 73 दिनांक 18/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नदी / नहर / तालाब स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत लाऊखेड़ी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 26.01.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र लीज में स्थित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण – nil
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पट्टा क्षेत्र से 155 मीटर पश्चिम में पक्की सड़क मौजूद है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 73 दिनांक 18/01/2023 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
जन सुनवाई	NA

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:

7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**

25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

23. <u>Case No.11222/2024 Shri Arvind Kumar, Partner, R/o House No. 3/777, Vastu Khand-3, Gomti Nagar, District-Lucknow (UP)-226010, Prior Environment Clearance for Sunarstone Mine in an area of 17.93 ha. (142500 cum per year) (Khasra No. 219), Village-Suna, Tehsil-Datia, District-Datia (MP) [449747] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें आज दिनांक 30/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक मैसर्स गोमतीइंफ्रा एंडमाइनिंग प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड/श्री. अरविन्द कुमार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार कृष्ण चन्द्रपांडा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुती करण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मैसर्स गोमतीइंफ्रा एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड/श्री. अरविन्द कुमार, पता–3/777 वास्तु खण्ड 03, गोमतीनगर, जिला–लखनऊ, उ.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं.219 (शासकीय भूमि–नॉनफॉरेस्ट लेंड)	17.930 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम सुनार, तहसील–बडोनी, जिला–दतिया एवं राज्य मध्य प्रदेश	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र पृष्ठ क्रमांक–9028/खनिज/उ.प./न.क्र.18/2023 भोपाल, दिनांक– 14/07/2023 के द्वारा स्वीकृत है ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डियाई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाइट पत्थर–142500 घनमीटर/वर्ष हेत ुआवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार142500 घनमीटर/वर्षहै।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 938/3–6/10/2022 दतिया, दिनांक 29/08/2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान परिलक्षित नहीं हो रही है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 938/3–6/10/2022 दतिया, दिनांक 29/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सें सेटिवजोन जैव–विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 938/3–6/10/2022 दतिया, दिनांक 29/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वज निक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन शील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भदूमरा जिला दतिया के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक.....दिनांक 07/12/2004 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो का विवरण-**नहीं है** • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण-**नहीं है** • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जानेवाले पेड़ों की संख्या **-नहींहै** • यदि पेडों का गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जाना है तो उसका विवरण **नहीं है (**हे. में**)**
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	बैरियर जोन खुदा हुआ है । पूर्व दिशा में नहर एवं कच्ची रोड़ है, नहर संवर्धन हेतु प्लान बनाया जाये । उत्तर–पश्चिम दिशा में 126 मीटर दूरी पर रहवास है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान की जानकारी को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ने हेतु समबन्धित विभाग को आवेदन किया हुआ है जिसका उल्लेख एकल प्रमाण पत्र (क्रमांक 938/3–6/10/2022 दतिया, दिनांक 29/08/2023) में किया हुआ है

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. खदान क्षेत्र में पाईप स्टारेज दिख रहें इसका डिस्पोजल प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में कृषि कार्य देखा गया अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पडेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पडेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. एम सेंड प्लान्ट एवं क्रशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शातें हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
12. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
13. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
14. सरफेस रनऑफ स्टडी, भूसंरक्षण का भौतिक एवं आर्थिक विवरण के साथ ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।

24. <u>Case No.11207/2024 Smt. Rekha Shukla, Owner, R/o Sai Sankalp Apartment, Flat No. 401, Kilkari Hospital ke Pass, Lashkar, District-Gwalior (MP)-474001 Prior Environment Clearance for Biloua Stone Quarry in an area of 3.576 ha. (50000 cum per year) (Khasra No.</u>

2653, 2637 min-2, 2639 min-3, 2637 min-4, 2637 min-5, 2636, 2635/1), Village-Bilaua, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (MP) [448619] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक रेखा शुक्ल यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार रश्मी सारस्वत, मेसर्स जेनिथ एनवायरमेंट कंसल्टेंसी, नोएडा उत्तरप्रदेश उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	रेखा शुक्ल निवासी साई संकल्प अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर.401, किलकारी हॉस्पीटल के पास लस्कर, डिस्ट्रिक्ट- ग्वालियर मध्य प्रदेश	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरानं. 3921 (शासकीय –नॉनफॉरेस्ट लेंड)	क्षेत्रफल–1ण्50 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम–बिलौआ तहसील–डबरा जिला–ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश।	
लीजस्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक खनिज/उ। प./न्। क्र.08/2016 ग्वालियर दिनांक 22.02.2017 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ग्वालियर के पत्र क्रमांक/127/डीया/न. क्र. -1/2016 ग्वालियर दिनाँक 04/10/2017 के द्वारा पत्थर–50,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–50,00 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 50,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियरके एकलप्रमाण–पत्र क्रमांक क्यू. यल.81/2015/1769 ग्वालियर, दिनांक- 08.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें स्वीकृत है, परंतु वह खदाने अवधि समाप्त/निरस्त हो गई है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक क्यू. क्यू. यल.81/2015/1769 ग्वालियर, दिनांक- 08.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक क्यू. यल.81/2015/1769 ग्वालियर, दिनांक- 08.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्व जनिकभवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय	

	निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्रामसभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिलौआ जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 22/04/2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में पूर्व से स्थापित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–32 के सरल क्रमांक–58 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.

- Verifiable proof of CER

17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. **ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।**
23. **फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।**
24. **ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।**
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्रेशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्रेशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डीनेट्स के साथ भू–जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे ।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख–रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रकिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

(1) समिति द्वारा आज की बैठक में बी–2, बी–1, टोर एवं डिया के समस्त प्रकरणों हेतु परियोजना प्रस्तावकों के लिए एक प्रपत्र तैयार किया गया है (संलग्नक–1) । जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना का विवरण, ई. एम.पी., सी.ई.आर., प्लांटेशन स्कीम आदि जानकारी विस्तृत रूप से समाहित की जावेगी। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है, कि इस प्रपत्र को परियोजना प्रस्तावकों को उपलब्ध कराया जाये जिसे वे अपने प्रस्तुतीकरण में स्वयं के द्वारा एवं पर्यावरण सलाहकार द्वारा स्वप्रमाणित कर शामिल करेंगे एवं परिवेश पोर्टल पर अपलोड करेंगें। जिससे समिति प्रकरणों को कम समय में पूर्ण रूप से प्रकरणों का ऑकलन कर सकेगी ।

(2) समिति द्वारा यह अनुभव किया गया कि गौण खनिजों के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य टॉर बिन्दुओं पर समिति स्थानीय परिस्थिति अनुसार परियोजना प्रस्तावक को ई.आई रिपोर्ट में अध्ययन/आंकलन करने हेतु प्रदाय करती है, परन्तु प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार इन टौर प्रकरणों को पहले सेक के एजेण्डा में शामिल किया जाता है तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक अपने एजेण्डा अनुसार तय तारीखों में प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण करता है । इस कार्यविधि से परियोजना प्रस्तावक का एवं समिति का अनावश्यक समय व्यय होता है। अतः सेंड माईन हेतु निर्धारित किये गये स्टेण्डर्ड टॉर के अनुसार ही समिति के सदस्यों द्वारा विस्तृत विचारोपरांत एवं अन्य विषय विशेषज्ञों से चर्चा उपरान्त गौण खनिजों के लिये अतिरिक्त टॉर बिन्दु का ई.आई.ए. रिपोर्ट में समावेश करने हेतु विस्तृत टॉर बिन्दु प्रस्तावित किये गये हैं (संलग्नक–2) जिनको शामिल करने से खनन प्रकरणों में वांछित जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में शामिल कर सकेगें, इस प्रक्रिया से टॉर प्रकरणों के लिये सेक द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अपने आवेदन करने के साथ ही टॉर प्राप्त कर सकेगें।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Additional TOR points for Minor Minerals -

(In addition to Standard TOR)

1. **EIA for Cluster** : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. **Plantation scheme** : Show numbers and species in tabular form

   A- Government land

   1. In barrier Zone
   2. In non mining area (set back)
   3. Along evacuation route
   4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
   5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.

   B- In Fodder Land

   Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP

   C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.

   D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.

3. **Set Back** – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)

   1. Dammar Road
   2. Village Road
   3. कच्ची सड़क (WBM)
   4. Haulage road
   14. Forest boundary /Revenue Forests
   15. Wildlife area /NP/WLS
   16. ESZ area
   17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.

5. Railway line
6. Wind mills
7. Agriculture land
8. Natural drainage
9. Nala/ river
10. Habitation,
11. Wells, Temples
12 Other structures
18. Catchment area
19. Stocked root (Area having)
20 Nearby Biodiversity rich area.
21. Water conservation structures, stop dams
22. Trees inside the mine
23. Other Habitation
24. Electric high tension line
25. Bridges /Culverts
26. Electric pole/Tower , Shamshan
27. RET species (Rare endangered and Threatened)

13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossisls and W.L. Niche/Archaeological Site if any,

4. <u>For blasting or for non blasting</u>: if mine lease area within-

1. 250 m. of forest land
2. ESZ areas , Buffer area
3. If private land : Own/Agreement
   1. OWN
   2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
   3. Cost benefit ratio
   4. If grass land : grass land development & maintenance
   5. Catchment of the major river & its protection plan.

5. <u>If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt.</u>
   - Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. **In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report**

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production (showing on surface plan)
- Dump areas

(A) **If – Crusher & M-sand plantis in mining area**

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for senstiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **<u>If crusher is outside of mines</u>**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **<u>SITE VISIT REQUIREMENTS</u>** :

Consultant must visit the site for B_1 and B_2 areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

1 . Names of villages around the mines area.

2 Village wise presence of people

3 Photograph

4 Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.

5 Public interest works to be mentioned in CER ac activities

6 Distance from mines area in the following public places

1. Habitation
2. School
3. Health centre
4. other public places
5. any sensitive area (men made structure / natural)

9. CER Activities

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. EMP as proposed in tabular form

11. Mining Activity.

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all PESA related requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on surface map
- slurry management
- Water requirement : Quantity & source

(D) If excavation route lies on private land

the permission of land owner for transportation.

(E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.

1. Stone - 10,000 m^3/yr with crusher, 15000 m^3 /yr without crusher
2. murum- 20,000 m^3/yr
3. Clay – 30,000 m^3/yr with kiln & chimney

(F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

12. **Miscellaneous**

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m3/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface lan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) It there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

Member
(SEAC)

Chairman
(SEAC)

संलग्न – 2

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत परियोजना विवरण

B-2 /B-1/TOR

Status of Case No. ---------- /2024 on line examination of by SEAC

प्रस्तावित खदान बी–2/टॉर/ बी–1 श्रेणी अथवा (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये ..... से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक ..... को परियोजना प्रस्तावक ..... एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ..... उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

1. परियोजना विवरण :–

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता				
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय	वन	निजी	Ha.
स्थल	Village	Tehsil,	, District	(M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा स्वीकृत ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ..... के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा स्वीकृत ।			
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	वर्ष–	,क्षमता–	,उत्पादित मात्रा–	
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।	वर्ष–	,क्षमता –	,उत्पादित मात्रा–	
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ	नही

मिलान की स्थिति				
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	ब्लास्टिंग	अथवा		रॉक ब्रेकर
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट अथवा डिया प्रकरण बी–2 / टॉर / बी–1			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम		दिनांक	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया ..... के पत्र क्रमांक .....दिनांक ..... के द्वारा पत्थर–..... घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की .....वीं बैठक दिनांक ..... को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा ..... . के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार .... घनमीटर / वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ..... के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... अनुसार 500 मीटर की परिधि में ..... अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा ..... हे. होता है, अतः प्रकरण बी–..... श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ..... के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नही है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)			
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ..... के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक ..... दिनांक ..... अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे			

	रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ..... जिला ..... के ठहराव प्रस्ताव कमांक ..... दिनांक ..... अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	हॉ/नहीं	
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	बाहर	अन्दर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ो की संख्या ..... • यदि पेड़ काटे जाने है तो उनका विवरण ..... • काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या ... • यदि पेडों का या अन्य संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा जाना है तो उसका विवरण ....हे. में	
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी की परिधि मे स्थित संवेदनशील घटको(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एव पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एव माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	उत्तर दिशा–	
	दक्षिण दिशा–	
	पूर्व दिशा–	
	पश्चिम दिशा–	
रिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक		

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–..... के सरल क्रमांक–..... पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक ..... को संपन्न .... आपत्तियॉ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :–

2. **EMP Table (Capital & Recurring Cost)**
Apart fro other facts mention carbon foot print amount, in case of building fire expenditure, STF budged, solar power amout, water fogging machine in mining/currser area, in other specific provision.

3. **CER Table**
As per local needs during purclic hearing.

4. **Plantation in other area.**

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .....वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में		
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)		
3	Plantation in other areas (School, Panchyat Bhawan etc.		

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन मे शामिल करेंगे ।

Other information –

5(i) No of setting with dimension. Garland drain length, mining area piripheri length.

(ii) Fodder area in hectore and amount of expenditure.

(iii) Specify area in surface plan as a non mining area in heacture..

टीप :– उपरोक्त विवरण परियोजना प्रस्तुतीकरण के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जानकारी का समावेश कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक
नाम :
हस्ताक्षर :
मो.नं. :

अधिकृत परि : सलाहकार
नाम :
हस्ताक्षर :
मो.नं. :

30/04/2024
(Dr. J. P. Shukla)

Approved
Dr PC Dubey
30/4/2024

30/4/24
Dr AK Sharma

(Raghvendra Kumar Shrivastava)

D-4

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for

grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.

5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.

n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
p. Minable Potential of sand mine.
q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.

39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.

18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

.

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे